

शपथ-पत्र

समक्ष
तकनीकी सलाहकार
उ०प्र० भू सम्पदा विनियामक
प्राधिकरण (रेरा) उ०प्र०

मैं मयंक जायसवाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र जायसवाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी 93, कटघर रोड, प्रयागराज शपथ-पूर्वक निम्न अभिकथन बावत सालिटेयर रायल विक्रय व आवन्तन तथा आवन्तन हेतु पंजीकरण धनराशि 10प्रतिशत जमा कराये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र

1. यह कि मैं द इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा०लि० कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक हूँ। मेरा आधार नं० 3420 4914 6492 है कम्पनी का पंजीकरण सं० U22300UP2005PTC029615 है।
2. यह कि आराजी सं० 107 के आंश भाग क्षेत्रफल 2250 Sq.Mt. पर सालिटेयर रायल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें कुल यूनिट सं० 32 मात्र है।
3. यह कि सालिटेयर रायल प्रोजेक्ट के फ्लैटों का विक्रय नहीं किया गया है।
4. यह कि सालिटेयर रायल जिस खसरे नम्बर पर निर्मित किया जा रहा, निर्माण किये जाने वाले क्षेत्रफल 2250 Sq.Mt. (आराजी सं० 107) पर रेरा के अन्दर कोई दूसरा प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं किया गया है। समस्त प्रकार के भार से रहित है। (free form all in combination)

शपथ-पत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी जानकारी में सत्य है किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया

दिनांक :



Identified by
Advocate to be his/her affidavit
are true and correct which is here by
verified and attested

P.D. Tripathi
Advocate Notary
Govt. of India

IDENTIFIED BY
ADVOCATE PRAYAGRAJ

शपथकर्ता
For The Innovators Digital Ads Pvt. Ltd

प्रबन्ध निदेशक
Director

द इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा०लि०
91, कटघर रोड, प्रयागराज।

अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले मकान के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्याज्ञा होगी कि भवनो की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

2.1.2.6 विशिष्टियाँ

भूखण्ड के उप विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियों व विवरण प्रस्तुत किसे जाएंगे :-

- (I) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनको ढाल और पेंविंग, नालियाँ (शाइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपसहोम विकास के विवरण।
- (II) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएं यथा सौबेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), गुरुता सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्त्रोत, इत्यादि।
- (III) औद्योगिक इकाइयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।

- 1.3 विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना
प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश/प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।
- 1.4 विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध
विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
- 1.5 विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता
 - (I) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा।
 - (II) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार वृद्धि की जा सकती है।
- 1.6 विकास के प्रारम्भ की सूचना
अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में दी जाएगी।
- 1.7 विकास के समय विचलन
विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
- 1.8 पूर्णता प्रमाण-पत्र
विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञादित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारम्भ (परिशिष्ट-3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फॉर्मेट में) सी.डी में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुलग्नक-2 के अनुसार होगी।



भारत सरकार
Government of India



मयंक जायसवाल
Mayank Jaiswal
जन्म तिथि / DOB : 29/10/1973
पुरुष / Male



3420 4914 6492

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:

आत्मज: हरीश चंद्र जायसवाल, 93,
कटघर, इन फ्रंट ऑफ जायसवाल
धर्मशाला, इलाहाबाद, इलाहाबाद,
इलाहाबाद सिटी, उत्तर प्रदेश,
211003

Address:

S/O: Harish Chandra Jaiswal, 93,
KATGHAR, IN FRONT OF
JAISWAL DHARAMSHALA,
ALLAHABAD, Allahabad **,
Allahabad, Allahabad City, Uttar
Pradesh, 211003

3420 4914 6492



1947
1800 300 1947



help@uidai.gov.in

WWW

www.uidai.gov.in